फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री भंवरलाल शर्मा पिता लादूराम शर्मा, निवासी मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर 332312
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 51/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.09.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/791—92 दिनांक 22.09.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 16.07. 2020 को प्राप्त हुआ हैं। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना प्राचार्य श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविधालय आमेट की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक 513—14 दिनांक 17.07.2020 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र प्राचार्य श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविधालय आमेट द्वारा जरिये पत्रांक 50 दिनांक 14.08.2020 से प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को प्रति दी गई। प्रार्थी अपीलार्थी को आरटीआई आवेदन अन्तरण करते समय प्रति दी जाकर प्रथम अपील अधिकारी के बारे में भी स्पष्ट अंकित किया गया किन्तु प्रार्थी ने प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई जो समुचित नही हैं। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय /अनुभाग को प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय की नही होने से तत्काल संबंधित कार्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(11) के तहत अन्तरण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी प्रथम अपील अधिकारी की सूचना के साथ सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील इस कार्यालय से संबंधित नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)